



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फ़िल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,
पोस्ट-विधान सभा, रायपुर (छ.ग)-492005, फोन- 0771—2282530 / 2285590 / 95

मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com / ro.raipur@ibm.gov.in

संख्या: RAP/LST/MPLN-1164/2018-RPR

दिनांक - 30.07.2018

प्रेषित श्री खेमलाल वर्मा
टीचर कोलोनी बजरंग वार्ड न. -5
पोस्ट -तिल्लदा, जिला- रायपुर
छत्तिसगढ़गाँ 493114

Shri Khem Lal Verma,
Teachers Colony, Bajrang
Ward No - 5,
Post – Tilda, District – Raipur,
Chhattisgarh - 493114

विषय: खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम – बिट्कुली, तहसील – सिम्मा, जिला – बलौदा बाजार (छग) में स्थित चूना पत्थर खान, क्षेत्रफल – 4.196 है. की खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रस्तुति।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त क्षेत्र की खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की जाँच व खान निरीक्षण के उपरांत इसमें कमियां/त्रुटियों पाई गई हैं। संलग्नक में दर्शाई गयी कमियों/त्रुटियों को सुधारते हुए खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की (3) तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां एवं 2 सॉफ्ट कॉपी (CD) इस पत्र के जारी होने की तिथि से (15) दिनों की अवधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि तीन स्वच्छ प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर अर्हित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। तथा बिन्दुवार कमियां सुधार का विवरण भी प्रस्तुत करें।

आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां पूर्ण सावधानी से तैयार करें अन्यथा पुनः कमियां/त्रुटियां पाए जाने की स्थिति में यह आपको संशोधनार्थ न लौटाते हुए इस पर अंतिम कार्रवाई कर दी जायेगी।

आप कृपया खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन एम सी डी आर 2017 के अनुसार रु 300000 प्रति हेक्टेयर पॉच वर्ष की अवधि का (Financial Assurance) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पक्ष में प्रस्तुत करें। वित्तीय आश्वासन के अभाव में खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना अपूर्ण मानते हुए अंतिम कार्रवाई कर दी जाएगी।

भवदीय

संलग्न: यथोपरि।

(बी.एल.गुर्जर)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि:

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर। (ई मेल द्वारा)
2. श्री अशोक कुमार जॉन, कवा. नं. - 02, स्ट्रीट नं. - 06, वी.वी. विहार, अनुपम नगर रेलवे क्रासिंग के पास, मोवा, पोस्ट एवं जिला रायपुर - 492014 (छग)।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

Annexure

Scrutiny comments in respect of the Modification in Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan of Bitkuli Limestone mine, area 4.196 ha, in village Bitkuli, Tehsil-Simga, District Baloda Bazar, Chhattisgarh, submitted under Rule 17(3) of MCR (other than Atomic and Hydrocarbon Energy minerals) 2016 and 23 of MCDR 2017. Previous inspection on 9.9.2017 by J.S. Hada, AMG.

1. Page no 15- para 5.6 , Production review upto 31/3/2018 may be given.
2. Para 5.20, page 17: The sum total of ‘proposed area in last document’ column may be corrected.
3. Para 6.2, total depletion of production figure given is not correct.
4. para 6.8.8, page 25: The reserves should be updated after necessary calculation/depletion, upto 31/3/2018 .
5. Para 7.16, page 31: The location of dumping ground mentioned text part is not correct, it should be North-western, refer plate no. 7E.
6. Page 33, Para 9.0 d), last para: the statement given that “2 mt. sq. Water will flow on rainy season” is not clear..
7. Page 34, Para 10.1: The quantity of waste and quantity of mineral reject needs to be given in table. The calculation shows ROM as 3800 m³ which is not correct, see page 27, also total waste is 1580 m³. The total quantity of mineral reject should be shown under Mineral Reject storage whereas it has been shown under Blending column.
